



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052021-227180
CG-DL-E-25052021-227180

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 279]
No. 279]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 25, 2021/ज्येष्ठ 4, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 25, 2021/JYAISHTHA 4, 1943

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2021

सा.का.नि. 345(अ).—केन्द्रीय सरकार गर्भधारण पूर्व तथा प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गर्भधारण पूर्व तथा प्रसव (लिंग चयन निषेध) नियम, 1996 में निम्न संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्,

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गर्भधारण पूर्व तथा प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन निषेध) संशोधन नियम, 2021 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन निषेध) नियम, 1996, में नियम 5 में, उप नियम (2) में, “संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी का मुख्यालय” शब्दों के बाद “या इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा” शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. वी. 11011/02/2021-पीएनडीटी]

प्रीती पंत, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में सा. का. नि. 1(अ) दिनांक 1 जनवरी, 1996 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात निम्नलिखित के द्वारा संशोधित किया गया था:

- सा.नि.का. 109 (अ), दिनांक 14 फरवरी, 2003;
- सा.नि.का. 426 (अ), दिनांक 31 मई, 2011;

3. सा.नि.का. 80 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2012;
4. सा.नि.का. 418 (अ), दिनांक 4 जून, 2012;
5. सा.नि.का. 13 (अ) और 14 (अ), दिनांक 9 जनवरी, 2014;
6. सा.नि.का. 77 (अ), दिनांक 31 जनवरी, 2014;
7. सा.नि.का. 119 (अ), दिनांक 24 फरवरी, 2014;
8. सा.नि.का. 60 (अ), दिनांक 28 जनवरी, 2015;
9. सा.नि.का. 492 (अ), दिनांक 22 मई, 2017 और
10. सा.नि.का. 599 (अ), दिनांक 19 जून, 2017

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2021

G.S.R. 345(E).—In exercise of the powers conferred by section 32 of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (57 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Rules, 1996, namely :-

1. (1) These rules may be called the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Rules, 1996, in rule 5, in sub-rule (2), after the words “the headquarters of the Appropriate Authority concerned”, the words, “or by electronic mode” shall be inserted.

[F. No. V.11011/02/2021-PNDT]

PREETI PANT, Jt. Secy.

Note : The principal Rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1(E) dated the 1st January, 1996 and subsequently amended vide:-

1. G.S.R. 109 (E), dated the 14th February, 2003;
2. G.S.R. 426 (E), dated the 31st May, 2011;
3. G.S.R. 80 (E), dated the 7th February, 2012;
4. G.S.R. 418 (E), dated the 4th June, 2012;
5. G.S.R. 13(E) and 14(E), dated 9th January 2014;
6. G.S.R. 77 (E), dated 31st January 2014;
7. G.S.R. No. 119(E), dated 24th February, 2014;
8. G.S.R. No. 60 (E), dated 28th January, 2015;
9. G.S.R. No. 492 (E), dated 22nd May, 2017 and
10. G.S.R. 599 (E), dated 19th June 2017.